जनपद शामली पुलिस

--मीडिया / सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेसविज्ञप्ति   दिनांक 13.07.2021

थाना कैराना

थाना कैराना पुलिस द्वारा जानलेवा हमले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त लाठियां बरामदः-

आज दिनांक 13.07.2021 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री सुकीर्ति माधव के आदेशानुसार चलाये जा रहे वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना कैराना पुलिस द्वारा ग्राम मण्डावर में हुए झगड़े में जानलेवा हमले में वांछित 01 अभियुक्त मुकरीम उर्फ मुकर्रम पुत्र जिन्दा को घटना में प्रयुक्त लाठियों के साथ गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है । गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि दिनांक 02.07.2021 को श्री हारून पुत्र असगर निवासी ग्राम मण्डावर थाना कैराना जनपद शामली द्वारा पैसो के लेन-देन के मामले में अभियुक्तगण द्वारा उसके परिवारजन पर घर में घुसकर जानलेवा हमला किये जाने के सम्बन्ध में थाना कैराना पर तहरीर दाखिल की गयी थी । दाखिल तहरीर के आधार पर थाना कैराना पर सुंसगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन में थाना पुलिस द्वारा अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु सम्भावित स्थानों पर लगातार दबिश दी जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1- मुकरीम उर्फ मुकर्रम पुत्र जिंदा निवासी मण्डावर थाना कैराना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण-

1- घटना में प्रयुक्त लाठियां।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1. व0उ0नि0 श्री राधेश्याम थाना कैराना जनपद शामली।
2. है0का0 राशिद अली थाना कैराना जनपद शामली।
3. का0 जितेन्द्र कुमार थाना कैराना जनपद शामली।
4. का0 अमित सांगवान थाना कैराना जनपद शामली।
5. का0 प्रेम चैधरी थाना कैराना जनपद शामली।

<u>थाना कैराना पुलिस द्वारा मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 15 ग्राम अवैध स्मैक एवं तस्करी में प्रयुक्त चोरी की मोटरसाइकिल बरामदः-</u>

आज दिनांक 13.07.2021 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री सुकीर्ति माधव के आदेशानुसार चलाए गये मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना कैराना पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान सूचना पर 15 ग्राम अवैध स्मैक एवं तस्करी में प्रयुक्त चोरी की मोटरसाइकिल सहित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध मे थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा तस्करी में प्रयुक्त मोटरसाइकिल करीब 06 माह पूर्व जनपद गाजियाबाद से चोरी करनी बताई गई है। अभियुक्त के अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-</u>

1-सारिक पुत्र जरीफ उर्फ जीफा निवासी मोहल्ला दरबार कला थाना कैराना जनपद शामली।

<u>आपराधिक इतिहास गिरफ्तार अभियुक्तः-</u>

1- मु0अ0सं0 481/18 धारा 380,411 भादवि थाना कैराना जनपद शामली।

2- मु0अ0सं0 623/20 धारा 307 भादवि थाना कांधला जनपद शामली।

3- मु0अ0सं0 625/20 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना कांधला जनपद शामली।

4- मु0अ0सं0 626/20 धारा 414 भादवि थाना कांधला जनपद शामली।

<u>बरामदगी का विवरणः-</u>

1- अवैध स्मैक 15 ग्राम।

2- तस्करी में प्रयुक्त चोरी की मोटरसाइकिल स्प्लैण्डर नम्बर UP-12Z / 2334।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>

1-उ0नि0 श्री राहुल कादियान थाना कैराना जनपद शामली।

2-का0 संदीप कुमार थाना कैराना जनपद शामली।

3-का0 मुस्तफा थाना कैराना जनपद शामली।

<u>थाना कैराना पुलिस द्वारा पुलिस अभिरक्षा में लाए "जानलेवा हमले" के अभियुक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त अवैध हथियार बरामद ।</u>

आज दिनांक 13.07.2021 को थाना कैराना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त महताब पुत्र हनीफ निवासी ग्राम रामडा थाना कैराना जनपद शामली को पुलिस अभिरक्षा में लाया गया। अभियुक्त द्वारा स्वयं की निशादेही पर घटना मे प्रयुक्त अवैध पौना तमंचा मय जिंदा/खोखा कारतूस बरामद कराया गया है।

ज्ञात हो कि दिनांक 01.06.2021 को महताब निवासी ग्राम रामडा थाना कैराना जनपद शामली द्वारा इश्तकार उर्फ दिल्ला निर्वना पर पैसे के लेन-देन को लेकर लाठी डंडों व तमंचे से जान से मारने की नीयत से गोली चलाने के सम्बन्ध में इश्तकार उर्फ दिल्ला द्वारा थाना कैराना पर तहरीर दाखिल की थी। दाखिल तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था । जिसमें महताब उपरोक्त द्वारा दिनांक 05.07.2021 माननीय न्यायालय के समक्ष हाजिर होकर जेल चला गया था, जिनके संबंध में थाना कैराना पुलिस द्वारा न्यायालय से अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा में लेने के लिए प्रत्यावेदन किया गया था। उक्त संबंध में मा0 न्यायालय द्वारा कैराना पुलिस को आज दिनांक 13.07.2021 को पुलिस अभिरक्षा रिमाण्ड स्वीकृत किया गया, जिनको कैराना पुलिस अभिरक्षा में लेकर अभियुक्त की निशादेही पर 01 अवैध पौना तमंचा मय 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस बरामद कराया गया है । बरामदगी के संबंध में अभियुक्त के विरूद्ध थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>अभियुक्तगण की निशादेही पर बरामदगी का विवरणः-</u>

1- घटना में प्रयुक्त अवैध 01 पौना तमंचा मय 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस ।

थाना कांधला

थाना कांधला पुलिस अवैध शराब सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 18 लीटर अवैध कच्ची अपमिश्रित शराब व 01 किलोग्राम यूरिया बरामदः-

आज दिनांक 13.07.2021 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री सुकीर्ति माधव के आदेशानुसार चलाए जा रहे अवैध शराब निर्माण/तस्करी में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी एवं बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कांधला पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 18 लीटर अवैध कच्ची अपमिश्रित शराब व 01 किलोग्राम यूरिया के साथ 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना कांधला पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगणः-

1- शादाब पुत्र इस्माइल निवासी इदरिश बेग बिहार कस्बा व थाना कांधला जनपद शामली।

2- इन्तजार पुत्र इलियास निवासी इदरिश बेग बिहार कस्बा व थाना कांधला जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1- 18 लीटर अवैध कच्ची अपमिश्रित शराब।

2- 01 किलोग्राम यूरिया।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त इन्तजारः-

1- मु0अ0सं0 1315/16 धारा 379 भादवि थाना चांदनीबाग जनपद पानीपत हरियाणा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1- उ0नि0 श्री सुरेन्द्र सिंह थाना कांधला जनपद शामली।

2- का0 नितिन त्यागी थाना कांधला जनपद शामली।

3- का0 मोनू चैधरी थाना कांधला जनपद शामली।

थाना बाबरी

थाना बाबरी पुलिस द्वारा जुआ खेलते 04 गिरफ्तार, कब्जे से 52 ताश के पत्ते व 1230 रुपये नकद बरामदः-

थाना बाबरी पुलिस द्वारा दिनांक 12.07.2021 को जुआ खेलते 04 अभियुक्तों 1. गुड्डु पुत्र सुरेन्द्र निवासी ग्राम आदमपुर थाना बाबरी जनपद शामली, 2. अर्जुन पुत्र सोमपाल निवासी ग्राम आदमपुरा थाना बाबरी जनपद शामली, 3. संदीप पुत्र मोहकम निवासी ग्राम भाज्जू थाना बाबरी जनपद शामली व 4. कल्लू पुत्र रगवीर निवासी ग्राम भाज्जू थाना बाबरी जनपद शामली को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है । गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बाबरी पर मु0अ0सं0 81/21 धारा 13 जी एक्ट पंजीकृत किया गया है ।